Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40-2025] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 7 अक्तूबर, 2025
(15 आश्विन, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 76/के०अ० 16/1927/धा० 29/2025, दिनांक 03 अक्तूबर, 2025– अनुसूची में वर्णित जिला यमुनानगर, तहसील जगाधरी, गांव चांदपुर की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने बारे।	3113—3114
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 77/के०अ० 16/1927/धा० 30/2025, दिनांक 03 अक्तूबर, 2025– अनुसूची में वर्णित जिला यमुनानगर, तहसील जगाधरी, गांव चांदपुर की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित भूमि पर खड़े तथा उगाए गए वृक्षों आदि को आरक्षित घोषित करने बारे।	3115—3116
	3. अधिसूचना संख्या का०आ० 78/के०अ० 16/1927/धा० 32/2025, दिनांक 03 अक्तूबर, 2025– अनुसूची में वर्णित जिला यमुनानगर, तहसील जगाधरी, गांव चांदपुर की भूमि पर लागू होने वाले नियम बनाने बारे।	3117—3118
	4. अधिसूचना संख्या का०आ० 79/के०अ० 16/1927/धा० 29/2025, दिनांक 03 अक्तूबर, 2025– अनुसूची में वर्णित जिला यमुनानगर, तहसील छछरौली, गांव छछरौली की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने बारे।	3119—3120
	5. अधिसूचना संख्या का०आ० 80/के०अ० 16/1927/धा० 30/2025, दिनांक 03 अक्तूबर, 2025– अनुसूची में वर्णित जिला यमुनानगर, तहसील छछरौली, गांव छछरौली की भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित भूमि पर खड़े तथा उगाए गए वृक्षों आदि को आरक्षित घोषित करने बारे।	3121—3122
	6. अधिसूचना संख्या का०आ० 81/के०अ० 16/1927/धा० 32/2025, दिनांक 03 अक्तूबर, 2025– अनुसूची में वर्णित जिला यमुनानगर, तहसील छछरौली, गांव छछरौली की भूमि पर लागू होने वाले नियम बनाने बारे।	3123—3124
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–III

हरियाणा सरकार

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 अक्तूबर, 2025

संख्या का०आ० 76/के०अ० 16/1927/धा० 29/2025.– भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 29 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को संरक्षित वन के रुप में घोषित करते हैं, जिस पर उक्त अधिनियम के अध्याय IV के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:–

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव का नाम हदबस्त संख्या सहित	क्षेत्र का विवरण			क्षेत्रफल एकड़ में
			खसरा/ किला नं0	कनाल	मरले	
यमुनानगर	जगाधरी	चांदपुर/419	24//4/1	2	13	2 एकड़ 4 कनाल 2 मरला
			24//5	5	9	
			24//6 मिन	6	6	
			24//7/1	4	12	
			138/2 मिन	1	2	
			कुल	**18**	**42**	
			Equal to	2 एकड़ 4 कनाल 2 मरला		
			Equal to	**2.512 एकड** = **1.02 है0**		
			Note: One ha. = 2.47 एकड़, 01 एकड़ =**8 कनाल** **01 कनाल** = 20 मरला			

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT

Notification

The 3rd October, 2025

No. S.O.76/C.A.16/1927/S.29/2025.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927), the Governor of Haryana hereby declares the land described in the Schedule given below to be protected forests to which the provisions of Chapter IV of the said Act shall be applicable, namely:-

SCHEDULE

District	**Tehsil**	**Name of Village with Hadbast No.**	**Detail of Land**			**Area in Acres**
			Khasra/ Killa No.	**Kanal**	**Marla**	
Yamunanagar	Jagadhari	Chandpur/419	24//4/1	2	13	2 Acre
			24//5	5	9	4 Kanal
			24//6 Min	6	6	2 Marla
			24//7/1	4	12	
			138/2 Min	1	2	
			Total	**18**	**42**	
			Equal to	2 acres 4 kanal 2 Marla		
			Equal to	2.512 acres = 1.02 ha.		
			Note: One ha.= 2.47 acres; one acre= 8 kanals; One kanal= 20 marla			

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Environment, Forests and Wildlife Department.

12154—C.S.—H.G.P., Pkl.